न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 95/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा		1. साल्ट डिपार्टमेंट (लवण विभाग)

2. थानाराम पुत्र शंकरराम
3. मोहनराम पुत्र शंकरराम
4. धरमों पुत्री शंकरराम
5. सूजों पुत्री शंकरराम
6. हंजा पुत्री शंकरराम
7. मृतक माधाराम पुत्र भगाराम के कायम मुकाम

7/1 चान्दाराम पुत्र माधाराम
7/2 हडमान पुत्र माधाराम
7/3 कानाराम पुत्र माधाराम
7/4 पेमाराम पुत्र माधाराम
7/5 जीजा पुत्री माधाराम
7/6 जतकी पत्नि माधाराम
सभी जातियान भील निवासी सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू–अभिलेख नियम 1970

आदेश **दिनांक 25.06.2021**

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। रिफाईनरी के कारण पडोस के ग्रामों ढाणियों व मजरों के अवरूद्व रास्ते को एन एच 25 से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम साम्भरा में एक ग्रेवल सडक /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो हाईवे से साम्भरा जोड़ने वाली सडक कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। ग्राम साम्भरा के खसरा नम्बर 304/280 रकबा 705–17 बीघा में से 3–18 बीघा, खसरा नम्बर 287/64 रकबा 32–15 बीघा में से 1–12 बीघा, खसरा नम्बर 59 रकबा 08–06 बीघा में से 0–06 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 1–08 बीघा में से 0–03 बीघा, खसरा नम्बर 181/69 रकबा 26–10 बीघा में से 2–10 बीघा, तथा खसरा नम्बर 172/67 रकबा 42–18 बीघा में से 7–00 बीघा भूमि में उक्त रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल :::: में किया गया है, हा[illegible] सरहद तक को जोड़ने वाली सडक कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने का नि[illegible] किया

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को [illegible] कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया ग[illegible]

विप्रार्थी संख्या 1 की और से तहसीलदार पचपदरा ने उपस्थित होकर जाहिर [illegible] कि हाईवे से साम्भरा सरहद तक को जोड़ने वाली सडक कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने से भूमि संबंधित खाता में खातेदार के नाम ही दर्ज होगी, इसमें किसी प्रकार की आमजन को असुविधा नहीं होगी, बल्कि रास्ता आमजन के लिए अधिक सुविधा जनक यह रास्ता होगा। विप्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.08.27 18:32:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

संख्या 2 ता 7 की और से जवाब पेश किया गया, रास्तें हेतु प्रभावित भूमि का मुआवजा दिलाने का निवेदन किया गया, चुंकि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है, रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के नाम ही यथावत दर्ज रहेगी, तथा मुआवजा राशि भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण की मांग को अस्वीकार की जाती है।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है। भूमी धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से रिफाईनरी के कारण पडोस के ग्रामों ढाणियों व मजरों के अवरूद्व रास्ते को हाईवे से लिंक करने वाले रास्ते के लिए जोड़ने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है।

प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर रिफाईनरी के कारण पडोस के ग्रामों ढाणियों व मजरों के अवरूद्व रास्ते को हाईवे से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है, जिसे ग्राम साम्मरा के खसरा नम्बर 304/280 रकबा 705–17 बीघा में से 3–18 बीघा, खसरा नम्बर 287/64 रकबा 32–15 बीघा में से 1–12 बीघा, खसरा नम्बर 59 रकबा 08–06 बीघा में से 0–06 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 1–08 बीघा में से 0–03 बीघा, खसरा नम्बर 181/69 रकबा 26–10 बीघा में से 2–10 बीघा, तथा खसरा नम्बर 172/67 रकबा 42–18 बीघा में से 7–00 बीघा, भूमि रास्ते हेतु प्रभावित प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ता बरंग लाल :::::: मुताबिक तरमीम एवं शेष रही भूमियों का विवरण तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

(नरेश सोनी)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश खुले न्यायालय मे दिनांक 25.06.2021 को सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner